न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 117/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/206

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा		1.प्रकाश आजाद पुत्र भरतकुमार जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा 2.भरतकुमार पुत्र सुल्तानमल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा 3.श्रीमति सुशीला आजाद पत्नि प्रकाश आजाद जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा 4.हिमांशुसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी रातानाड़ा जिला जोधपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार
2. श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 3
3. श्री रामेश्वरलाल गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02
4. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 04

आदेश

दिनांक– 21/07/2025

1. संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 633/218 क्षेत्रफल 6.8796 हैक्टयर भूमि विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विप्रार्थी की ओर कृषि भूमि का बिना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवाये अवैध रूप से मौके पर डम्पर,जे.सी.बी. व ट्रेक्टरो द्वारा रेत डालकर समतलीकरण एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लेकर विप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंधन किया गया है। अतः प्रार्थी ने ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 633/218 क्षेत्रफल 6.8796 हैक्टयर भूमि से विप्रार्थी की खातेदारी समाप्त कर उक्त भूमि राजकीय खातें में दर्ज करवानें हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थी के आवेदन पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विवादित आराजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई,जो शामिल मिसल है।

3. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर राज.पैरोकार ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहरते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 633/218 क्षेत्रफल 6.8796 हैक्टयर भूमि विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विप्रार्थी की ओर कृषि भूमि का बिना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवाये अवैध रूप से मौके पर डम्पर,जे.सी.बी.व ट्रेक्टरो द्वारा रेत डालकर समतलीकरण एवं अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लेकर विप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंधन किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन करवाए अकृषि कार्य में उपयोग लिया जाता है,तो अकृषि कार्य में उपयोग ली जानी वाली भूमि खालसा सरकार होकर राज.सरकार के खाते में इन्द्राज करने का प्रावधान है और वादग्रस्त भूमि का भी विप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य में उपयोग लिए जाने के कारण राज.सरकार खालसा घोषित की जावें।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो खारिज योग्य है,क्योंकि विप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है,न ही मौके पर प्रश्नगत भूमि पर विप्रार्थीगण द्वारा अवैध निर्माण कार्य ही किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि विप्रार्थी के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि है। जिसमें विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। विप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की किसी प्रकार से अवहेलना नहीं की है और न ही विप्रार्थी ने किसी प्रकार का अकृषि कार्य ही किया है,अलावा इसके वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट मे विवादित आराजी पर अकृषि कार्य होना नही पाया गया है,जिससे स्पष्ट है,कि मौके पर विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रकरण निरर्थक तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत भूमि विप्रार्थीगण के मालिकाना स्वामित्व की भूमि है,जिससे विप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त करने से विप्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी। जिसका मुल्यांकन मुद्रा या अर्थ मे करना सम्भव नहीं होगा। विप्रार्थीगण द्वारा मौके पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है अतं मे निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

5. हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व तथ्यात्मक रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त भूमि मौजा तेमावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 633/218 क्षेत्रफल 6.8796 हैक्टयर भूमि पर बिना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवायें विप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य किए जाने के कारण उक्त विवादित भूमि खालसा सरकार घोषित की जावे। पत्रावली के संलग्न विवादित आराजी की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) के अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 4 विवादित आराजी के रिकॉडर्ड सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी की ओर से मौका फर्द दिनांक 30.4.2025 जो हल्का पटवारी मेवानगर व भू अभिलेख निरीक्षक तिलवाड़ा द्वारा तैयार की गई थी,जिसमें कृषि भूमि पर विप्रार्थी द्वारा डम्पर,जेसीबी व ट्रेक्टरो द्वारा रेत डालकर समतलीकरण एवं निर्माण कार्य बिना विहित सम्परिवर्तन करवाए किए जाने की रिपोर्ट के आधार पर विषयक प्रकरण बनाकर भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा पेश किया गया। उक्त मौका फर्द अवलोकन से स्पष्ट है,कि भूमिधारक स्वंय की उपस्थिति में मौका निरीक्षण नही किया गया तथा न ही मौतबरूरान की उपस्थिति में,इस प्रकार उक्त मौका फर्द को आधार मानकर भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत विषयक प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत नही बनाता है। विषयक भूमि के संबध में तहसीलदार पचपदरा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन रिपोर्ट तलब की गई,तहसीलदार पचपदरा की मौका फर्द दिनांक 18.7.2025 के अनुसार विवादित आराजी पर बुवाई की हुई है,उक्त खसरान में अन्य अकृषि गतिविधियाँ या गैर कृषि प्रयोजनार्थ कार्य नही हो रहा है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अकृषि कार्य नही हो हुआ है,जो कि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा स्वंयं अपनी मौका फर्द दिनांक 18.7.2025 में स्वीकार किया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन चलने योग्य नही है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण प्रकरण खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि यदि भविष्य मे विवादित आराजी पर बिना सम्परिवर्तन करवाए अकृषि कार्य किया जाता है,तो विधि मे निहित प्रावधानो के तहत नया आवेदन पत्र पेश करने में स्वतंत्र रहेगे।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 21/07/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21/07/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 21/07/2025
(एस.डी.ओ) बालोतरा